फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

कन्हैयालाल बनाम उगमलाल वगैरह,

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111/128 नं० 149 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8.23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 8.9.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
8/9/23	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाज दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं. इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते है वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 149/23 प्रा०पत्र

1– श्री कन्हैयालाल s/o श्री उदयदास बैरागी निवासी-संतोकपुरा त० मांडल (भील०)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री उगमलाल s/o श्री मांगु माली निवासी-संतोकपुरा तहसील-माण्डल [भील०]
(मुतहीत्त प्रा०पत्र सहित)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक – 08-09-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम संतोकपुरा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० मुतहीत्त पिछले पृष्ठ पर कुल किता 10 रकबा 4.7549 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-08-23 को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ... की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम संतोकपुरा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न० 321, 322, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356 कुल किता 10 रकबा 4.7549 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मेजा को 2000/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर ... फीस जमा कराकर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा